संख्या-565/2023/3226/22-2-2023-17(298)/2016

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर, पंजाब में निरूद् सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह, निवासी जनपद-मेरठ, उ0प्र0 वर्तमान जनपद-फिरोजपुर, पंजाब की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25522/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-08-2023) दिनांक-09-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर, पंजाब में निरूद् सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह, जो डेरा सुनाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ, उ0प्र0 वर्तमान ग्राम-फिरीदेवाला थाना-कुलगढ़ी जनपद-फिरोजपुर, पंजाब का निवासी है। जमीन संबंधी पुरानी रंजिश में दिनांक 14.08.1999 को समय 02.30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर तथा हरजीत सिंह सहित 03 लोंगों की हत्या कर दी। तत्पश्चात डेरे पर जाकर लखविन्दर के अबोध पुत्र को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में आईपीसी की धारा-302/149, 147, 148 307/149 व 27 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी शातिर किस्म का व्यक्ति होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन संबंधी पुरानी रंजिश में दिनांक 14.08.1999 को समय 02.30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर तथा हरजीत सिंह सहित 03 लोंगों की हत्या कर दी। तत्पश्चात डेरे पर जाकर लखविन्दर के अबोध पुत्र को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरजीत सिंह पुत्र अनोख सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर, पंजाब में निरूद् सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह (बन्दी संख्या-6587/331) पुत्र श्री अनोख सिंह, निवासी जनपद-मेरठ, उ0प्र0 वर्तमान जनपद-फिरोजपुर, पंजाब को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-565/2023/3226(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर, पंजाब।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर, पंजाब।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-451/2021 हरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 एवं दिनांक 11.08.2023 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-565/2023/3226/22-2-2023-17(298)/2016

दिनांक 06 सितम्बर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फिरोजपुर, पंजाब में निरूद् सिद्धदोष बन्दी हरजीत सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह, जो डेरा सुनाली, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ, उ0प्र0 वर्तमान ग्राम-फिरीदेवाला थाना-कुलगढ़ी जनपद-फिरोजपुर, पंजाब का निवासी है। जमीन संबंधी पुरानी रंजिश में दिनांक 14.08.1999 को समय 02.30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर तथा हरजीत सिंह सहित 03 लोंगों की हत्या कर दी। तत्पश्चात डेरे पर जाकर लखविन्दर के अबोध पुत्र को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1213/1999 में आईपीसी की धारा-302/149, 147, 148 307/149 व 27 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी शातिर किस्म का व्यक्ति होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन संबंधी पुरानी रंजिश में दिनांक 14.08.1999 को समय 02.30 बजे दोनों पक्षों के मध्य हुए विवाद में अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों से फायर कर बाज सिंह, लखविन्दर तथा हरजीत सिंह सहित 03 लोंगों की हत्या कर दी। तत्पश्चात डेरे पर जाकर लखविन्दर के अबोध पुत्र को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हरजीत सिंह पुत्र अनोख सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।